तत्काल जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या. 73/2018)

भादूविप्रा ने "दूरसंचार अंतरसंयोजन (संशोधन) विनियम, 2018" जारी किए

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2018 : भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज "दूरसंचार अंतरसंयोजन (संशोधन) विनियम, 2018" जारी किए, जो भादूविप्रा द्वारा 01.01.2018 को जारी "दूरसंचार अंतरसंयोजन विनियम, 2018" के विनियम 6, 8 और 9 में संशोधन विनिर्धारित करते हैं।

2. विनियमों में किए गए मुख्य संशोधन निम्नानुसार हैं:

क) एक सेवा प्रदाता पीओआई पर अतिरिक्त पोर्ट्स के लिए दूसरे सेवा प्रदाता से अनुरोध कर सकता है, बशर्ते कि ऐसे पीओआई की क्षमता का अनुमानित उपयोग, अनुरोध प्रस्तुत करने की तिथि से **साठ दिनों** की समाप्ति पर, **पचासी प्रतिशत** से अधिक रहने की संभावना हो और पीओआई की क्षमता के अनुमानित उपयोग का निर्धारण व्यस्त घंटे के दौरान, पीओआई परं पिछले **साठ दिनों** के लिए दैनिक ट्रैफिक के आधार पर किया जाएगा: बशर्ते सेवा प्रदाता अतिरिक्त पोर्ट्स की ऐसी अतिरिक्त संख्या के लिए अनुरोध करेगा जिससे अनुरोध करने की तिथि से **साठ दिनों** की समाप्ति पर ऐसे पीओआई की क्षमता का उपयोग **पचहत्तर प्रतिशत** से कम होने की संभावना हों।

ख) प्रारंभिक अंतरसंयोजन के लिए पोर्ट्स मुहैया कराने और पीओआई पर पोर्ट्स बढ़ाने की समय–सीमा को बढ़ाकर **42 कार्यदिवस** किया गया है।

ग) प्रत्येक सेवा प्रदाता हर छह माह पर अपने अंतरसंयोजन सेवा प्रदाता को प्रत्येक पीओआई पर अगले छह माह के लिए व्यस्त घंटा आउटगोइंग ट्रैफिक के बारे में अपना पूर्वानुमान बताएगा और ऐसा पहला पूर्वानुमान दूरसंचार अंतरसंयोजन (संशोधन) विनियम, 2018 के लागू होने के **साठ दिनों** के भीतर मुहैया कराना होगा और इसके बाद, हर वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को मुहैया कराना होगा।

घ) 1 फरवरी, 2018 से पूर्व मुहैया कराए गए सभी पोर्ट्स के लिए पोर्ट प्रभार और अवसंरचना प्रभार का भुगतान दिनांक 1 फरवरी, 2018 से पूर्व उन पर लागू निबंधन और शर्तों के अनुरूप किया जाता रहेगा।

3. "दूरसंचार अंतरसंयोजन (संशोधन) विनियम, 2018 का पूरा विवरण भादूविप्रा की वेबसाइटः www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

4. किसी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री सुनील कुमार सिंघल, सलाहकार (बीबीएंडपीए) से दूरभाष नंबर +91-11-23221509, फैक्सः नंबर +91-11-23230056 पर संपर्क किया जा सकता है।

5/7/2018

(एस. के. गुप्ता)
सचिव